कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ-5 / 1338 / 2023 / 10-11 / 2 ह ऽ

भोपाल, दिनांक । 5-1-24

प्रति.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) संभाग मण्डला, मध्यप्रदेश।

विषय:- मण्डला जिले में टिकरिया-सिंगौधा-पाठा-चुटका मार्ग के उन्नयन/निर्माण हेतु 8.20 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, मण्डला को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MP/ Road/156454/2022)

संदर्भः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPR 044/2023-BHO दिनांक 27.12.2023

--0--

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, त्वरित संदर्भ हेत् छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः भारत सरकार के चाहे अनुसार जानकारी वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके। संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1338 / 2023 / 10-11 /2 矣 🕻 प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक। ५- १- २५

- 1. वन संरक्षक (क्षेत्रीय), जबलपुर वृत्त, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
- 2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, पश्चिम मण्डला, मध्यप्रदेश। की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि आपसे संबंधित बिन्दुओ की जानकारी तैयार कर एवं आवेदक से संबंधित जानकारी प्राप्त कर एकजाई जानकारी इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके। सलग्नः-उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल



भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL



Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar, BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांकः 6-एमपीआर 044/2023-बीएचओ/

दिनांक :

V2/12/2023

प्रति.

प्रधान सचिव (वन) मध्यप्रदेश शासन, वल्तभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: मण्डला जिले में टिकरिया-सिंगौधा-पाठा-चुटका मार्ग के उन्नयन/ निर्माण हेतु 8.20 हेक्टेयर आरक्षित एवं नांरगी वनक्षेत्र कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग मण्डला को उपयोग पर देने बाबत (Online Proposal No. FP/MP/Road/156454/2022).

संदर्भ: नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1338/2023/10-11/4881 दिनांक 01/11/2023. महोदय.

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अतिरिक्त अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

- It is seen in the KML file of the proposed alignment that well established road is already there along the alignment which needs patchwork at some of the places with existing width.
 Therefore, the purpose of felling of 1145 trees are not justified. Further, It is not clear whether prior permission of the Government of India was taken for the construction of the existing road under the provision of FCA, 1980 and if not then why shouldn't this be considered a violation of the Forest Conservation Act?
- The proposal does not involved Non Forest Land but it seems from the KML that Non Forest Land is also part of the proposed work. The necessary correction need to be carried out in online portal accordingly.
- 3. The State Govt is suggested to review the proposal in view of Guideline Para 11.6 of the Handbook of FCA and subsequent guidelines in this regard.
- 4. The administrative approval for the proposed work shall be provided.
- 5. The proposal involves construction of bridges etc so component wise break be furnished accordingly. Further, proper land schedule mentioning length and width of the proposed road with details of existing available width etc shall be provided/uploaded.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

(डा. यागश गराला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।

Scanned with CamScanner